एम. एल. सिंघल के समक्ष जे.

ग्राम पंचायत वी. सरस्वती खेरा,-याचिकाकर्ता

बनाम

राम किशन और अन्य-प्रतिवादीगण

1987 का सी. आर. सं. 613

10नवंबर, 2000

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908-0.9* आर. आई. *13*-कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध करने वाला वकील-ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किए बिना एकपक्षीय डिक्री पारित करना-क्या वकील की ओर से लापरवाही एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए पर्याप्त आधार है-हाँ।

अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को ग्राम पंचायत को नोटिस देना चाहिए था क्योंकि उसके वकील ने कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया था और कहा था कि वह ग्राम पंचायत की ओर से पेश नहीं होना चाहते थे, इस प्रकार ग्राम पंचायत के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हुआ।आवेदक को वकील या उसके क्लर्क से कोई सूचना नहीं मिली कि उसे ऐसी तारीख को पेश होना चाहिए जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हो और वकील द्वारा आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई कि वह मामले के अभिलेख के साथ उसके पास आए।आवेदक को नहीं पता था कि मामले में क्या हो रहा था।अन्यथा भी, यदि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत के खिलाफ दायर मुकदमे का बचाव करने में उचित रुचि नहीं ली, तो ग्राम पंचायत को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।प्रक्रिया के नियम केवल न्याय के हाथ हैं।प्रक्रिया के परिवर्तन में, मूल न्याय का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।यदि प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए कुछ कारण देता है जो गलत या तुच्छ नहीं लगते है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और एकतरफा डिक्री को अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

बी. एस. कथुरिया, अपीलार्थी की तरफ से अधिवक्ता,

एस. के. गोयल, प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता

निर्णय

एम. एल. सिंघल, जे

(1) यह जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के 16 अक्टूबर, 1986 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण है, जिसमें उन्होंने राम किशन आदि के खिलाफ ग्राम सरस्वती खेड़ा की ग्राम पंचायत की अपील को खारिज कर दिया था। यह अपील उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कैथल के 1983 के स्थायी व्यादेश के लिए दीवानी मुकदमे संख्या 296 शीर्षक राम किशन और अन्य बनाम ग्राम पंचायत, में *2* दिसंबर, 1983 के आदेश के खिलाफ कि गई थी जिसमें एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए किया गया आवेदन को खारिज कर दिया था।

(2) राम किशन और अन्य लोगों ने ग्राम सरस्वती खेड़ा की ग्राम पंचायत के खिलाफ स्थायी व्यादेश के लिए 1983 मे मुकदमा संख्या 296 दायर किया, जिसमें उसे गाँव सरस्वती खेड़ा के आबादी देह के बाहर स्थित लेकिन गाँव सरस्वती खेड़ा की राजस्व संपत्ति के अंदर स्थित विवादित भूमि पर अपने कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रार्थना की गई। वादी को एकपक्षीय रोक दी गई।ग्राम पंचायत ने 17 मई, 1983 को प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया, जिसमें मान सिंह को रोक हटाने के लिए अधिकृत किया गया।मान सिंह ने श्री वाई. के. मंगल और श्री एस. के. मंगल, अधिवक्ताओं को नियुक्त किया, जिन्होंने 15 जून, *1983* को रोक हटाने के लिए आवेदन दिया, अदालत ने कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सहमति आदेश पारित किया।लिखित बयान के लिए मामले को 8 अगस्त, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।उक्त तिथि पर लिखित बयान फिर से तैयार नहीं था।मामला 29 अगस्त, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।लिखित बयान फिर से तैयार नहीं था। रुपये 20 के भुगतान पर मामले को 26 सितंबर, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 26 सितंबर, 1983 को फिर से न तो लिखित बयान दायर किया गया और न ही लागत का भुगतान किया गया।ग्राम पंचायत के वकील श्री एम. के. मंगल ने ग्राम पंचायत की ओर से कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत ने उनसे मामला ले लिया है।मामला 3 नवंबर, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।2 दिसंबर, 1983 को एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज किया गया और एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

(3) 5 अप्रैल, 1984 को एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन किया गया था जिसमें कहा गया था कि मान सिंह ने अपने वकील श्री वाई. के. मंगल से अनुरोध किया था कि जब भी उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी उन्हें सूचित किया जाए और श्री वाई. के. मंगल ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनसे कहा कि जब भी उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उन्हें अपने क्लर्क के माध्यम से सूचित किया जाएगा।उस आवेदन में अभिकथन किया कि मान सिंह को उनके वकील या उनके क्लर्क से कोई पत्र नहीं मिला था।यह भी उल्लेख किया गया कि उनके गाँव के एक सीता राम ने भी उसी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत के खिलाफ मुकदमा दायर किया था जिसमें ग्राम पंचायत ने श्री वाई. के. मंगल को भी अपने वकील के रूप में नियुक्त किया था।उस मुकदमे में अदालत ने पंचायत के खिलाफ कुछ आदेश पारित किया था।उस आदेश के खिलाफ अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र की अदालत में लंबित थी जिसमें श्री हेम चंद गुप्ता इनके वकील थे जिन्होंने निचली अदालत के अभिलेख को मांगा था और उन्होंने (मान सिंह) तदनुसार श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता से अभिलेख ले लिया था।इस प्रकार श्री वाई. के. मंगल अदालत में पेश नहीं हो सके और एकतरफा कार्यवाही की गई और अंततः, एकपक्षीय डिक्री पारित की गई। 5 अप्रैल को, 1984 जब आवेदक कैथल आया तो उसे एकपक्षीय कार्यवाही के बारे में पता चला।श्री अमर भल्ला, क्लर्क, श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता के माध्यम से की गई पूछताछ पर, उन्हें एकपक्षीय कार्यवाही के बारे में पता चला और इस तरह आवेदन समय के भीतर था।राम किशन आदि ने इस आवेदन का विरोध किया।पक्षों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

1. क्या 2 दिसंबर, *1984* की आक्षेपित एकपक्षीय डिक्री को आवेदन के पैरा संख्या 2 में उल्लिखित आधारों पर अपास्त करने योग्य है?ओपीए
2. क्या आवेदन समय के भीतर है?ओपीए
3. राहत मिलती है।

(4) 14 मार्च, 1986 के आदेश के माध्यम से, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कैथल ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और उनके निष्कर्ष के मद्देनजर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने से इनकार कर दिया कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। आवेदन में भी समय की पाबंदी पाई गई।

(5) दिनांक 14 मार्च, 1986 के इस आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर, ग्राम पंचायत ने अपील की-दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 के आदेश के माध्यम से, जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र ने अपील को खारिज कर दिया। फिर भी संतुष्ट नहीं, ग्राम पंचायत इस अदालत में पुनरीक्षण के लिए आई है। मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड को देखा है।

(6) ग्राम पंचायत के विद्वान वकील द्वारा निवेदित किया गया था कि मुकदमे शीर्षक राम किशन आदि बनाम ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व श्री मान सिंह ने किया था।उन्होंने अधिवक्ता श्री वाई. के. मंगल और श्री एम. के. मंगल को नियुक्त किया था।श्री मान सिंह ने अधिवक्ता श्री वाई. के. मंगल से अनुरोध किया था कि जब भी उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हो तो उन्हें सूचित करें।श्री वाई. के. मंगल ने उनसे कहा कि जब भी उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उन्हें उनके क्लर्क के माध्यम से सूचित किया जाएगा।यह निवेदित किया गया था कि उन्हें श्री वाई. के. मंगल या उनके क्लर्क द्वारा सूचित नहीं किया गया था।यह भी निवेदित किया गया कि राम किशन के पुत्र सीता राम ने भी उन्हीं बारों के संबंध में ग्राम पंचायत के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।ग्राम पंचायत ने उस मामले में भी अधिवक्ता श्री वाई. के. मंगल को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया था।उस मामले में कुछ आदेश पारित किए गए थे।उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र की अदालत में लंबित था।श्री हेम चंद गुप्ता, अधिवक्ता उस अपील में ग्राम पंचायत के वकील थे।उन्होंने निचली अदालत के अभिलेखों कि मांग की थी।श्री मान सिंह ने अधिवक्ता श्री वाई. के. मंगल से इस मामले के से अभिलेख ले लिया थे। इस प्रकार, श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो सके और एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिसकी परिणति एकपक्षीय आदेश में हुई।यह निवेदित किया गया था कि मान सिंह को कोई पत्र लिखने या कोई सूचना भेजने के बजाय, श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता ने कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध किया।न तो श्री वाई. के. मंगल और न ही उनके क्लर्क श्री अमर चंद भल्ला ने उन्हें कोई संदेश दिया कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी।यह निवेदित किया गया था कि मान सिंह का यह संस्करण श्री अमर चंद भल्ला, मोहन सिंह और अधिवक्ता श्री हेम चंद गुप्ता के क्लर्क लक्ष्मी चंद के बयानों द्वारा समर्थित है।यह निवेदित किया गया था कि श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता को पता था कि राम किशन आदि बनाम ग्राम पंचायत मामले का अभिलेख श्री मान सिंह ने इस दृष्टि से लिया था कि इसे श्री हेम चंद गुप्ता, अधिवक्ता, जो ग्राम पंचायत द्वारा सीता राम आदि बनाम ग्राम पंचायत नामक मुकदमे में दायर अपील में ग्राम पंचायत के वकील थे, द्वारा देखा जा सके। यदि ऐसा था, तो श्री वाई. के. मंगल या श्री एम. के. मंगल को अदालत में पेश होना चाहिए था।उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था कि उन्हें प्रतिवादी की ओर से पेश होने का कोई निर्देश नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि इस मामले का अभिलेख मान सिंह द्वारा क्यों लिया गया था।यह भी निवेदित किया गया कि जब श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता ने बयान दिया था कि वह ग्राम पंचायत की ओर से कोई निर्देश नहीं देने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि उनसे मामले का अभिलेख ले लिया गया था और वह ग्राम पंचायत की ओर से पेश होने के लिए तैयार नहीं थे, तो अदालत को ग्राम पंचायत के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही बढ़ाने का आदेश नहीं देना चाहिए था, बल्कि ग्राम पंचायत को मामले में उपस्थित होने और आवश्यक कदम उठाने और इसके लिए वकील की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत को नोटिस जारी करना चाहिए था।इस निवेदन के समर्थन में, उन्होंने मेरा

ध्यान मलकियत सिंह बनाम जोगिंदर सिंह और एक अन्य[1] की ओर आकर्षित किया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां अपीलार्थी के वकील ने कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध कर रहे थे और परिणामस्वरूप मामले का एकपक्षीय फैसला किया गया था, अदालत को अपीलार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी, इसके बजाय अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो उस तारीख को उपस्थित नहीं था।अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं कहा जा सकता है।इस मामले में, मलकियत सिंह आदि अपीलार्थियों पर हरपाल सिंह की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था और दोषी ठहराए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ।6 अगस्त, 1989 को प्रतिवादीगण ने अपीलकर्ताओं से एक लाख मुआवजे का दावा करते हुए मुकदमा उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, समराला की अदालत में दायर किया। मुक़दमे में दावे का अपीलार्थियों द्वारा विरोध किया गया था।उन्होंने लिखित बयान दायर किया और मुकदमे का बचाव करने के लिए वकील को नियुक्त किया।निचली अदालत ने पक्षों की दलीलों के आधार पर कई मुद्दे तैयार किए।उस मामले में वादी के दो गवाहों से पूछताछ और जिरह के बाद, यह पता चला कि 8 नवंबर, 1991 को, अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमे में उनका बचाव करने के लिए नियुक्त किए गए वकील ने अदालत के समक्ष कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया है। वकील द्वारा किसी भी निर्देश का अनुरोध नहीं करने के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं पर एकपक्षीयकार्रवाई की गई।8 फरवरी, 1992 को विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ एक एकपक्षीय डिक्री पारित की।अपीलार्थी 6 जून, 1992 को अपने वकील से मामले की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने गए।उनकी पूछताछ पर, उनके वकील ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके ख़िलाफ़ एकपक्षीयकार्रवाई की गई और 8 फरवरी, 1992 को मुकदमे मे एकपक्षीय डिक्री पारित कर दि गई थी।अपीलकर्ताओं ने 10 जून, 1992 को आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के तहत 18 नवंबर, 1995 के एक्सपार्ट आदेश और 8 फरवरी, 1992 के फैसले और डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया।माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता न तो मुकदमे का बचाव करने में लापरवाही कर रहे थे और न ही असावधानी कर रहे थे।उन्होंने एक वकील नियुक्त किया था और कार्यवाही का अनुसरण कर रहे थे।।इस तथ्य की स्थिति में, निचली अदालत, जिसने अपीलार्थियों के वकील द्वारा प्रतिवेदित कोई निर्देश नहीं दिए जाने के बाद उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया था, उसे न्याय के हित में उस आवेदन को स्वीकार करना चाहिए था और उस स्तर से मामले में आगे बढ़ना चाहिए था जब वकील ने कोई निर्देश नहीं दिया था प्रतिवेदित किया था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को दोषी नहीं कहा जा सकता था और उन्हें भुगतना नहीं होना चाहिए।इस दृष्टिकोण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताहिल राम इस्सरदास सदरंगनी और अन्य बनाम रामचंद इस्सरदास सदरंगनी और अन्र[2] पर भरोसा किया। जिसमें पीठ ने राय दीः

> "वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि 15 मार्च, 1974 को जब श्री अधिया, अधिवक्ता मामले से हट गए, तो याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं थे।अभिलेख पर कुछ भी नहीं है यह दिखाने के लिए कि क्या याचिकाकर्ताओं को उस दिन मामले की सुनवाई का नोटिस मिला था।हमारा विचार है कि जब श्री अधिया मामले से हट गए, तो न्याय के हित में, वास्तविक तिथि की सुनवाई के लिए पक्षों को एक नया नोटिस भेजा जाना चाहिए था।इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, हमें लगता है कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप

[1] जे. टी.1997 (9) S.C.642
[2] 1993 (Supp) 3 एस. सी. सी. 256

से

गलत नहीं थे और इसलिए उसे कष्ट नहीं उठाना चाहिए।"

(7) यह निवेदित किया गया था कि अधिवक्ता श्री एम. के. मंगल की ओर से लापरवाही, जिन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया थाऔर ग्राम पंचायत के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने की अनुमति दी थी, ग्राम पंचायत पर हावी नहीं होनी चाहिए और एकपक्षीय आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

(8) जहाँ प्रतिवादी अदालत में अपनी उपस्थिति के उद्देश्य से एक वकील को नियुक्त करता है और वह उपेक्षा करता है, उसकी उपेक्षा प्रतिवादी की गैर-उपस्थिति के लिए एक पर्याप्त कारण होगी।आखिरकार, वादी प्रत्येक तिथि पर पेश होने के लिए वकील पर भरोसा करते हैं।_जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा श्याम लाल धर बनाम मैसर्स प्लाई बोर्ड इंडस्ट्रीज[3] मामले में सुनवाई करते हुए यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। यही दृष्टिकोण उदयान चिनूभाई बनाम आर. सी. बाली[4] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था। जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"अन्यथा भी, मामले की पूरी परिस्थितियों अधिवक्ता, श्री भर्तिंदर सिंह की सरासर उदासीनता और संभवतः लापरवाही का खुलासा करती हैं और जो भी हो अपीलार्थी की ओर से कोई कमी नहीं हैं, हम सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत 12 दिनों की देरी को माफ करने के लिए इच्छुक हैं।

(9) मेरी राय में, अदालत को ग्राम पंचायत को नोटिस देना चाहिए था क्योंकि उसके वकील श्री एम. के. मंगल ने कोई निर्देश नहीं दिए जाने का अनुरोध किया था और कहा था कि वह ग्राम पंचायत के लिए पेश नहीं होना चाहता थे इस प्रकार ग्राम पंचायत के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो गया है तब भी जब इस मामले में मान सिंह ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया था कि वह 26 सितंबर, 1983 को अदालत के समक्ष पेश क्यों नहीं हो सके। ग्राम पंचायत एक सार्वजनिक निकाय है।श्री एम. के. मंगल को अदालत के समक्ष यह कहना चाहिए था कि मामले का अभिलेख उनके पास नहीं था क्योंकि यह श्री मान सिंह द्वारा उनसे ले लिया गया था क्योंकि यह श्री हेम चंद गुप्ता, अधिवक्ता थे जो सीता राम बनाम ग्राम पंचायत नामक एक अन्य मामले में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व उन्हीं बारों के संबंध कर रहे थे।

(10) डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन 5 अप्रैल, 1984 को किया गया था। 2 दिसंबर, 1983 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी।एक्सपार्ट डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन या तो 2 दिसंबर, 1983 से 30 दिनों के भीतर या जब आवेदक को एकपक्षीय डिक्री के तथ्य का पता चला तब से 30 दिनों के भीतर किया जा सकता था।26 सितंबर, 1983 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मुकदमे का अभिलेख अधिवक्ता श्री हेम चंद गुप्ता, ग्राम पंचायत द्वारा सीता राम के खिलाफ दायर अपील में वकील हैं, को दिया गया। Ex.ए 1 अपील में पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति है।अपील 17 जून, 1983 को दायर की गई थी।अंततः 3 अक्टूबर, 1983 को इसका अंतिम निपटारा कर दिया गया। विद्वत निचली अदालत कि राय मे 3 अक्टूबर, 1983 को मामला खारिज होने के बाद आवेदक के लिए मामले का अभिलेख एकत्र नहीं करने का कोई आधार नहीं था और ऐसा कोई कारण नहीं था कि आवेदक 5 अप्रैल, 1984 से पहले कैथल नहीं आ सका।जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवेदक को श्री वाई. के. मंगल, अधिवक्ता या उनके क्लर्क से कोई सूचना नहीं मिली कि उन्हें फलां तारीख को उपस्थित होना हैं क्योकि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता

---

[3] ए. आई. आर. 1981 जे एंड के 95

[4] ए.आई. आर. 1977 एससी 2319

हैं और श्री एम. के. मंगल द्वारा आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई कि उन्हें मामले के अभिलेख के साथ उनके पास आना चाहिए। आवेदक को पता ही नहीं था कि मामले में क्या हो रहा है।अन्यथा भी, यदि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत के खिलाफ दायर मुकदमे का बचाव करने में उचित रुचि नहीं ली, तो ग्राम पंचायत को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।प्रक्रिया के नियम केवल न्याय के लिए हस्तनिर्मित हैं।प्रक्रिया की वेदी पर, मूल न्याय का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। "पर्याप्त हेतुक" शब्दों की व्याख्या लिबरल तरीक़े से की जानी चाहिए जो आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. में उपयोग किए गए जो इस प्रकार हैः— "किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर दता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पयार्प्त हेतुक से निविारत रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कायर्वाही करने के लिए दिन नियत करेगा।" यदि प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए कुछ कारण देता है जो मिथ्य या तुच्छ नहीं लगता है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और डिक्री को अपास्त कर दिया जाना चाहिए। एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन दायर करने में कोई देरी नहीं हुई।यदि न्याय के हित में कोई देरी हुई थी, तो उसे सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत माफ कर दिया जाना चाहिए। यह दोहराया जाएगा कि ग्राम पंचायत को केवल इसलिए नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उसके प्रतिनिधि या उसके वकील की ओर से लापरवाही की गई थी।

(11) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, एकपक्षीय डिक्री और साथ ही एकपक्षीय कार्यवाही भी 3000 रुपये के भुगतान पर अपास्त की जाती हैं।

तदनुसार पुनरीक्षण की अनुमति है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा